न्यायालय अपर जिला कलक्टर (प्रथम), जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्री छगन लाल गोयल आर0ए0एस0

पंचायत निगरानी सं. : 08/2017

प्रार्थी

शम्भुसिंह पुत्र मूलसिंह जाति राजपूत निवासी–माताजी का बास, बस्तवा, तहसील बालेसर, जिला जोधपुर।

बनाम

अप्रार्थी

1. ग्राम पंचायत बस्तवा जरिये सरपंच तहसील बालेसर जिला जोधपुर।
2. मूलगिरी पुत्र शंकरगिरी जाति स्वामी, निवासी–माताजी का बास, बस्तवा, तहसील बालेसर जिला जोधपुर।

निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 विरूद्व पट्टा विलेख संख्या 39 एंव इससे सम्बन्धित तमाम आदेश जो ग्राम पंचायत बस्तवा द्वारा पत्रावली संख्या 39/84–85 में पारित करते हुए दिनांक 12.07.1984 को पट्टा अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में जारी किया गया।

उपस्थिति :

1. प्रार्थी की ओर से अभिभाषक श्री सिद्वार्थ परिहार उपस्थित।
2. अप्रार्थी की ओर से अभिभाषक श्री छोटू सिंह सोढ़ा अनुपस्थित ।

–: आदेश :– दिनांक : 06.06.2018

यह पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 विरूद्व पट्टा विलेख संख्या 39 एंव इससे सम्बन्धित तमाम आदेश जो ग्राम पंचायत बस्तवा द्वारा पत्रावली संख्या 39/84–85 में पारित करते हुए दिनांक 12.07.1984 को पट्टा अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में जारी किया गया को निरस्त करवाने हेतु पेश की है। जिसके संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम बस्तवा में आबादी भूमि के पास मंदिर स्थित है एवम आबादी क्षेत्र में मंदिर का प्रांगण खुले भूखण्ड के रूप में स्थित है। यहां पर धार्मिक आयोजन ग्रामवासियों द्वारा किये जाते है। अप्रार्थी संख्या 2 में माह दिसम्बर 2016 में मंदिर के इस प्रांगण पर अतिक्रमण कर दिवार बनाने का प्रयास किया तो ग्रामवासियों ने इसका विरोध किया तब अप्रार्थी संख्या 2 ने यह बताया कि उसके पास इस भूमि का ग्राम पंचायत द्वारा जारी किया हुआ पट्टा है परन्तु मूल पट्टा किसी को भी नहीं दिखाया केवल फोटो प्रतिलिपी दिखायी। प्रार्थी ने इस पट्टे

से संबंधित रेकर्ड एवं पट्टे के बारे में ग्राम पंचायत से सम्पर्क करने पर बताया कि संबंधित रेकर्ड उपलब्ध नहीं है। इससे व्यथित होकर यह निगरानी प्रस्तुत की है।

प्रार्थी अभिभाषक द्वारा यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत करने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से अभिभाषक की छोटू सिंह सोढ़ा ने अपना वकालतनामा प्रस्तुत किया। इस प्रकरण में जारी पट्टे से संबंधित मूल रेकर्ड ग्राम सेवक एवं पदेन सचिव ग्रम पंचायत बस्तवा पंचायत समिति बालेसर को लिखा गया। ग्राम सेवक दिनांक 17.07.2017 को उपस्थित होकर लिखित में यह अवगत कराया कि माननीय न्यायालय द्वारा चाहा गया रेकर्ड उपलब्ध नहीं होने से पेश करने में असमर्थ हूॅ। इस प्रकरण में प्रार्थी अभिभाषक की एक पक्षीय बहस सुनी गयी। अप्रार्थी संख्या 2 के अभिभाषक को बार–बार आवाजें लगाने के बावजूद न्यायालय समय पर उपस्थित नहीं आये। इस प्रकरण का निर्णय मेरिट के आधार पर निर्णय किय जा रहा है।

प्रार्थी के योग्य अभिभाषक श्री सिद्वार्थ परिहार ने अपनी बहस शुरू करते हुए कथन किया कि अप्रार्थी संख्या 1 ने अप्रार्थी संख्या 2 को जो जो पट्टा विलेख जारी किया गया है वह नियमों के विपरित जाकर पट्टा जारी किया है। अप्रार्थी संख्या 2 के नाम से जारी पट्टे के देखने मात्र से लगता है कि उसके नाम 100 गुणा 80 फुट का पट्टा जारी किया है जो कानूनन के तहत जारी नहीं किया जा सकता है और ग्राम पंचायत ने निर्धारित प्रक्रिया अपनाये बिना ही पट्टा जारी कर दिया है जो निरस्त किये जाये योग्य बताया है।

प्रार्थी अभिभाषक ने अपनी बहस में यह भी कथन किया कि ग्राम पंचायत बस्तवा ने अप्रार्थी संख्या 2 को 100 गुणा 80 फुट अर्थात 8000 वर्गफुट आवासीय भूखण्ड का पट्टा केवल 16/– रूपये में जारी करना बताया है। इसी पट्टे के पहले इस भूखण्ड की कीमत 100/– रूपये होना बताया है। अप्रार्थी संख्या 2 के द्वारा 16/– रूपये जमा करावाया जाना बताकर पट्टा जारी कर दिया है, इससे ग्राम पंचायत को आर्थिक हानि पहुॅचायी है। अप्रार्थी संख्या 2 को जारी पट्टे से संबंधित पत्रावली व अन्य रेकर्ड की नकले मांगी गयी तो बताया गया कि संबंधित रेकर्ड उपलब्ध नहीं है। इससे स्पष्ट है कि उपरोक्त पट्टा फर्जी तरीके से अप्रार्थी संख्या 2 के नाम से जारी किया गया है।

प्रार्थी अभिभाषक ने अपनी बहस में यह भी कथन किया कि उपरोक्त पट्टे के बारे में प्रार्थी अथवा ग्रामवासियों को कोई जानकारी नहीं थी। इसके बारे में प्रथम बार जानकारी दिसम्बर 2016 में हुई। जानकारी प्राप्त होने पर संबंधित रेकर्ड की नकले लेने का प्रयास किया परन्तु रेकर्ड उपलब्ध नहीं कराया गया। ग्राम पंचायत ने अप्रार्थी संख्या 2 मूलगिरी पुत्र शंकरगिरी जाति स्वामी निवासी–माताजी का बास, बस्तवा तहसील बालेसर को नियम 266 राज.प.सा.नियम 1961 के अन्तर्गत जारी किया है। इस नियम में वर्णित प्रावधानों की पालना ग्राम पंचायत द्वारा नहीं की गयी है। अतः पट्टा निरस्त करने का निवेदन किया।

हमनें प्रार्थी के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत बहस पर मनन किया एवम पत्रावली का भी अवलोकन किया। इस प्रकरण में अप्रार्थी संख्या 2 को जारी पट्टे से

संबंधित मूल रेकर्ड प्रस्तुत करने हेतु पदेन सचिव एवं ग्राम सेवक ग्राम पंचायत बस्तवा पंचायत समिति बालेसर को रेकर्ड उपलब्ध कराने हेतु लिखा गया था और ग्राम सेवक दिनांक 17.07.2017 को उपस्थित होकर लिखित में यह अवगत कराया कि मूलगिरी पुत्र शंकरगिरी के नाम से एक रसीद दिनांक 12.07.1984 को जारी हुई है। इसके अलावा इस पट्टे से संबंधित अन्य रेकर्ड मुझे चार्ज में नहीं दिया गया है। पत्रावली पर उपलब्ध पट्टा संख्या 39 की छाया फोटो प्रतिलिपी का अवलोकन करने से यह पाया गया कि सरपंच ग्राम पंचायत बस्तवा ने अप्रार्थी संख्या 2 मूलगिरी पुत्र शंकरगिरी जाति स्वामी निवासी–माताजी का बास, बस्तवा तहसील बालेसर को दिनांक 12.07.1984 को जारी पट्टा राजस्थान पंचायत एवम न्याय पंचायत सा.नियम 1961 के नियम 266 के अन्तर्गत पट्टा जारी किया है। इस पट्टे में भूखण्ड का मूल्य 100/–रूपये आंके जाने का वर्णन है लेकिन अप्रार्थी संख्या 2 ने 16/– रूपये की रसीद संख्या 32 दिनांक 12.07.1984 के द्वारा जमा करवाये गये है।

राजस्थान पंचायत अधिनियम के नियम 266 का अवलोकन किया। इस नियम के 1(घ) जहां किन्हीं व्यक्तियों का आबादी भूमि पर कब्जा 20 वर्ष अथवा अधिक परन्तु 40 वर्षो से कम का है, वहॉ विद्यमान बाजार कीमत का एक तिहाई भाग और जहां कब्जा 40 वर्षो से अधिक का है, वहॉ विद्यमान बाजार दर का छठा भाग प्रभारित (वसूल किया जायेगा) लेकिन पत्रावली पर उपलब्ध पट्टा संख्या 39 के छाया प्रति के अनुसार ग्राम पंचायत ने उक्त भूखण्ड का मूल्य 100/– रूपये आंका गया था और अप्रार्थी संख्या 2 ने रूपये 16/– ग्राम पंचायत में जमा करवाये। इससे यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि अप्रार्थी संख्या 2 का आबादी भूमि में कितने वर्ष पुराना कब्जा है। यह इसमें कहीं भी स्पष्ट नहीं किया है।

पत्रावली पर उपलब्ध पट्टा संख्या 39, मिसल संख्या 39/84–85 जो दिनांक 12.07.1984 को मूलगिरी पुत्र शकर गिरी स्वामी ग्राम बस्तवा माताजी का बास की छायाप्रति का अवलोकन करने पर 80X100 वर्गगज का पट्टा दिया जाना प्रतीत होता है। उक्त पट्टे में वर्णित ग्राम पंचायत के संकल्प संख्या 4 दिनांक 12.07.1984 को जरिये रसीद संख्या 32 दिनांक 12.07.1984 को रूपये 16.66 मात्र में इतने बडे क्षेत्रफल का पट्टा जारी किया है। राजस्थान पंचायत अधिनियम के तहत 1961 के नियम 266(घ) के अनुसार राशि प्राप्त होने पर पट्टा विलेख जारी किया जा सकेगा। उक्त विवादग्रस्त पट्टे से संबंधित मूल पट्टा बही, ग्राम पंचायम की बैठक कार्यवाही पंजिका व ग्राम पंचायम द्वारा संधारित मूल पत्रावली 39/84–85 उपलब्ध ग्राम पंचायत बस्तवा पंचायत समिति बालेसर द्वारा उपलब्ध नहीं करवाई गई। इसके रेकर्ड के अभाव में यह एक संशय का विषय है कि ग्राम पंचायत ने पट्टा जारी करने से पूर्व रेकर्ड का संधारण भी किया या नहीं।

इस प्रकरण में विवादग्रस्त जारी पट्टे से संबंधित भूमि की डीएलसी दर की जानकारी उपमहानिरीक्षक पंजीयन एवं मुद्रा जोधपुर ने अपने पत्रांक डीएलसी/2018/734 दिनांक 25.05.2018 के द्वारा यह अवगत कराया कि ग्राम बस्तवा की दिनांक 12.07.1984 के वक्त पंजीयन एवं मुद्राक विभाग में डी.एल.सी. दरों का प्रावधान नहीं था। दस्तावेजों का पंजीयन सूची संख्या 2 के आधार पर किया जाता था।

इस प्रकरण में यह एक महत्वपूर्ण तथ्य है कि अप्रार्थी संख्या 2 मूल गिरी पुत्र शंकर गिरी जाति स्वामी निवासी माताजी का बास, बस्तवा तहसील बालेसर को ग्राम पंचायत बस्तवा द्वारा मिसल संख्या 39/84–85 के द्वारा पट्टा संख्या 39 जो दिनांक 12.07.1984 को जारी किया गया से संबंधित ग्राम पंचायत बस्तवा द्वारा संधारित मूल

अभिलेख जैसे पत्रावली, ग्राम पंचायम बैठक कार्यवाही पंजिका, पट्टा बही जो एक महत्वपूर्ण सरकारी अभिलेख है, उसको सुरक्षित रखने का दायित्व संबंधित ग्राम पंचायत/पदेन सचिव/ग्राम सेवक का होता है। मूल रेकर्ड, उपलब्ध नहीं कराने का कोई ठोस कारण भी इस न्यायालय को अवगत नहीं कराया है।

—:आदेशः—

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत पंचायत निगरानी स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मिसल संख्या 39/84—85 के द्वारा जारी पट्टा संख्या 39 दिनांक 12.07.84 का एतद् निरस्त किया जाता है। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि विवादग्रस्त भूखण्ड से संबंधित अन्य कोई विवाद नहीं हो तो अप्रार्थी संख्या 2 मूल गिरी आवेदन प्रस्तुत करने एवं समस्त विधिक कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र है।

(छगन लाल गोयल)
अपर जिला कलक्टर, (प्रथम)
जोधपुर

निर्णय आज दिनांक 06.06.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(छगन लाल गोयल)
अपर जिला कलक्टर, (प्रथम)
जोधपुर